



## प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

पी.ई.बी. चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011  
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–02550498 ई-मेल : vyapam@mp.nic.in  
वेबसाइट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) तथा [www.peb.mp.gov.in](http://www.peb.mp.gov.in)

### i h& i kyHdfud VLV (PPT) – 2017

vWykbZu vlosu&i =	
भरने की प्रारम्भ तिथि : <b>28.04.2017</b>	भरने की अंतिम तिथि : <b>12.05.2017</b>
में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : <b>28.04.2017</b>	में संशोधन करने की अंतिम तिथि : <b>17.05.2017</b>
परीक्षा दिनांक व दिन	<b>10-06-2017</b> शनिवार – <b>11-06-2017</b> रविवार
ijhkk 'Wd	
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	: - 400@&
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़ा वर्ग / निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये ( केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये )	: - 200@&
ऑनलाईन आवेदन – पत्र भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क : - <b>70@&amp;</b> देय होगा। इसके अतिरिक्त रस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क <b>40/-</b> रु. देय होगा।	

### vWykbZu ijhkk i) fr le; lkj.kh

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
<b>10-06-2017</b> शनिवार – <b>11-06-2017</b> रविवार	प्रथम	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	अपराह्न 12:30 बजे	01:50 से 02:00 बजे तक (10 मिनट)	अपराह्न 02:00 से 04:00 बजे तक (2:00 घंटे)

### fVII . kh %

- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, क्लॉनेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं इलेक्ट्रनिक डिवाईस आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- vWykbZu vlosu&i = Øekd ds }jk fyf[kr ijhkk grq vH FkZ vi uk i dsk&i = i Hr dj l drs gA vr%vlosu&i = Øekd vlo'; d : i l s l Hky dj j [k ft l dh l eLr@ft Eenkjh vlosu&i = dh gh gkxhA
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉलप्वाइंट पेन (उपस्थिति प त्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु) तथा परीक्षा हाल में प्रवे'k हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है A
- पी.ई.बी. द्वारा आयाजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी ernkrk i gpk i = i s d kM v k k j d k M M k fo x y k l d l p h e; Q k v k x Q fo l ky; ds i t p k Z l s v H F k Z dk l R k f i r Q k v k s D r i g p k i = r F k i k i k Z e a l s d k Z, d d k p; fur dj l drk gA b Z v k k j e k u ug h gA
- मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

**प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल**  
**"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011**  
 फोन न.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,  
 E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in,  
 www.peb.mp.gov.in

**i h& i kylVdfud VLV (PPT) – 2017**  
**पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में फीपीटी के माध्यम से त्रि-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के**  
**प्रवेश नियम**

**fo"k l ph**

l - Øa	v; k	fooj.k	i "B Øekd
1	1	<b>शासकीय (Government) क्षेत्र के अंतर्गत</b> मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में दो/तीन/चार वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	3–18
2	2	<b>निजी (Private) क्षेत्र के अंतर्गत</b> निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में दो/तीन/चार वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	19–33
3	3	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	34–48
4	4	पाठ्यक्रम	49–54
5	5	प्रमाण-पत्रों के प्रारूप	55–69
6	प्रारूप-11	प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन	70
7	प्रारूप-12	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	71
8	प्रारूप-13	फोटो, हस्ताक्षर तथा हस्तलिपि का प्रपत्र	72
9	तालिका-1 तालिका-2	संस्थावार/ब्रांचवार उपलब्ध सीटों की संख्या	73–98

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के दो/तीन/चार वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में

### सत्र 2017–18 से प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के दो/तीन/चार वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सत्र 2017–18 से प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु जारी किये गये प्रवेश नियम निम्नानुसार है :—

#### 1.1 सामान्य :

ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे।

#### 1.2 परिभाषायें :

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

1. श्रेणी: का तात्पर्य है इन चार श्रेणी में से एक उदा. अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC)
2. पी.ई.बी.: का तात्पर्य है "प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड" मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है.
4. प्राचार्य: का तात्पर्य है संस्था प्रमुख.
5. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया.
6. अ.भा.त.शि.प. : का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली.

7. “संयुक्त प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अर्थात् प्री-पोलीटेक्निक टेस्ट;
  8. “व्यावसायिक संस्थान” से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, फार्मसी तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संधारित करती हैं;
  9. संचालक का तात्पर्य है संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल.
  10. कुलपति का तात्पर्य है कुलपति राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल.
  11. वर्ग का तात्पर्य है इन चारों वर्गों में एक उदाहरणीय (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), विकलांग (H), बिना वर्ग (X).
  12. “OP” सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरुष अभ्यर्थी.
  13. “F” सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी.
  14. “शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों” से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (Supernumerary) रहेंगे, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल-निवासी अभ्यर्थियों को जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय ` 6.0 (छ.) लाख रुपये से कम है, दिया जावेगा।
- 1.3 **लागू होना:-** ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे।
- 1.4 **प्रवेश नियम:-**
- समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी—**
- 1.4.1 स्थानों की उपलब्धता**
- संस्थाओं में उपलब्ध सीटें :-**
- | स.क्र. | संस्था का प्रकार | प्रवेश क्षमता का प्रतिशत |
|--------|------------------|--------------------------|
|        |                  | सत्र 2017–18 के लिये     |

1	<p>मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय</p>	<p>95 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें (अनिवासी भारतीय सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. सीटों में परिवर्तित)</p>
---	---	--

- (क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट [www.dtempcounselling.org](http://www.dtempcounselling.org) / [dte.mponline.gov.in](http://dte.mponline.gov.in) पर उपलब्ध कराई जावेगी।
- (ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी।
- (ख-1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परीषद नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

#### 1.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य

पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा।

### टिप्पणी :

- (अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।
- (ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (क) मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :—

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2 / 96 / अ.प्र. / एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

- (ख) मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :—

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित i&#1&2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 vii 2014** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र i&#1&10 में परामर्श के

समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश) ॥

(ग) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु स्थानों का आरक्षण :

समस्त शासकीय/स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के प्रत्येक संकाय (ब्रांच) में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की एक सीट कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/पुत्रियों के लिए आरक्षित रहेगी। शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप-7 में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं काश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं काश्मीर राज्य से अहकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित i&k i&8 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(ङ.) एन.सी.सी. "बी" श्रेणी प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु आरक्षण :-

मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. के "बी" श्रेणी प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए शासकीय/अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में 02 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

(घ) शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट

**(Tuition Fee Waiver Scheme) :-**

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में दो/तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से

उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 6.0 (छ:) लाख रुपये से कम है, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।

### (ढ) क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) :

**(अ)** शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत सैनिक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के उम्मीदवारों के लिये क्रमशः 5 व 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

### सैनिक वर्ग (S) :-

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलाग हो गये हों। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण –पत्र इस नियम पुस्तिका के अध्याय–4 में दिये गये निर्धारित प्रारूप–3 भाग (अ) में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण –पत्र प्रारूप–4 में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। (प्रमाण पत्र प्रारूप-3 भाग(ब) में) उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण—पत्र प्रारूप-6 में प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार को दोनों प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

#### अथवा

वह 1 जनवरी 2017 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का /की पुत्र/पुत्री है (प्रमाण पत्र प्रारूप-4 में)।

**टिप्पणी :** सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

#### स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF) :

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत है।

**टिप्पणी :** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले कलेक्टर से प्रारूप-5 में प्रमाण—पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

#### बिना वर्ग (Nil Class) (X) :

जो उम्मीदवार उपरोक्त वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत “बिना वर्ग” (X) का उम्मीदवार माना जावेगा।

#### (ब) महिला (Female) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

स्वशासी एवं शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में समस्त सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी परन्तु सह शिक्षा पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में महिला उम्मीदवारों हेतु प्रत्येक श्रेणी एंव वर्ग के अंतर्गत 30 प्रतिशत सीटों का “कम्पार्टमेंटलाइज्ड” क्षौतिज आरक्षण उपलब्ध होगा।

महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा। महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में सिर्फ महिला उम्मीदवार को ही पात्रता होगी, किन्तु मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्र./एफ-5-5/2007/42/1, दिनांक 10.2.2009 द्वारा राज्य की शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, खरगौन, बुरहानपुर, सागर, पन्ना नरसिंहपुर एवं भिण्ड को सहशिक्षा में परिवर्तित किया गया है। तथा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त पात्र महिला उम्मीदवारों को प्रवेश देने के उपरान्त यदि कोई स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें पुरुष उम्मीदवारों से भरा जावेगा।

किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी वर्ग में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस वर्ग की पात्रता के पुरुष उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी/वर्ग में समायोजित नहीं किये जावेगें।

**(स) विकलांग उम्मीदवारों (Physically Handicapped Candidates) हेतु आरक्षण :**

40 एवं अधिक प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांग उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए ब्रांचवार प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण समस्त श्रेणियों यथा अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) में उपलब्ध रहेगा।

**टिप्पणी :-**

1. यदि क्षैतिजीय आरक्षण के विरुद्ध विकलांग उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो ऐसी सीटों को उसी श्रेणी के Nil वर्ग (बिना वर्ग, X) में परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—

(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र; तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे।

**(ण) मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को अतिरिक्त सुविधा:-**

यदि किसी श्रेणी की योग्यताक्रम (मेरिट) सूची के ऐसे उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री हों, तथा किसी संस्था विशेष में प्रवेश लेने के इच्छुक हों, तो उन्हें काउंसिलिंग प्रक्रिया में उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग में स्थित मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों का आवंटन किया जा सकेगा परंतु उन्हें ब्रांच का आवंटन प्रवेशित संस्था में उनकी मेरिट के आधार पर किया जावेगा। इन उम्मीदवारों के लिये इस प्रकार इच्छित संस्था का चुनाव मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में पूरी स्वीकृत प्रवेश क्षमता तक उपलब्ध रहेगा। ऐसे उम्मीदवारों को उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग के अतिरिक्त अन्य स्थानों में स्थित संस्थाओं में उपरोक्त सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

**टिप्पणी:** “गरीबी रेखा” के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को इस आशय का प्रमाण—पत्र कि उनके पिता/माता गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को अपने पिता/माता के नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके पिता/माता राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

### (त) एन.आर.आई. (NRI) सीटें :

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम दिनांक “प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011” दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

#### 1.4.3 प्रवेश हेतु पात्रता : 1) जो भारत का नागरिक हो 2) शैक्षणिक अर्हता

पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु उम्मीदवार का विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों के माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। **किन्तु फैशन टेक्नोलॉजी**

**पाठ्यक्रम हेतु उम्मीदवारों को विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों का बंधन लागू नहीं होगा।**

## नोट :-

1. माइनिंग एण्ड माइन सर्वेइंग/माइन सर्वेइंग पाठ्यक्रमों के लिये महिला उम्मीदवारों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, साथ ही माइनिंग में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2017 को 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, शारीरिक रूप से अक्षम छात्र जो खदानों में कार्य करने के मापदंड के अनुसार नहीं होंगे वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे निर्धारित मापदण्डों के अनुसार चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर ही वे प्रवेश के पात्र होंगे।
  2. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी तथापि उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जावेंगे।
  3. पीपीटी—2017 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा सत्र 2016–17 में सम्मिलित हो रहे हैं, भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें परामर्श के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करना होगी।
  4. ऐसे उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिये परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित करना होगा।
- 3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें

### (M.P. Domicile Requirements)

शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों/अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों की सभी सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार (सैनिक वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों तथा जम्मू-काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के उम्मीदवारों को छोड़कर) को पात्रता होगी :

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी—3—7—2013—3—एक दिनांक 29 जून, 2013 के

अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण—पत्र **प्रारूप-6** अनुसार अथवा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी—3—7—2013—3—एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा—पत्र **प्रारूप-6 (अ)** में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

#### **1.4.4 प्रवेश की रीति**

राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से। प्राधिकृत अभिकरण सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा तथा अधिसूचित करेगा।

राज्य शासन द्वारा अधिकृत प्रोफेशनल एजामिनेशन बोर्ड (P.E.B.) मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित की जाने वाली पीपीटी—2017 की जारी की जाने वाली मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।

### **1.5 प्रवेश की प्रक्रिया**

#### **1.5.1 ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग प्रवेश प्रक्रिया**

*(Online Off Campus Admission Procedure):*

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

#### **1.5.2 अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विलद्ध प्रवेश की प्रक्रिया:-**

**1.5.2.1** समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी

भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011” दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे ।

**1.5.2.2 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन** – अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी ।

### 1.6 प्रवेश हेतु चयन पद्धति :

**1.6.1** पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (P.E.B.) मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित विषयों में प्रवेश परीक्षा एक प्रश्न पत्र में पी.पी.टी. 2017 आयोजित की जावेगी । प्रश्न पत्र में भौतिकी एंव रसायन शास्त्र विषय के 50–50 प्रश्न तथा गणित विषय के 50 प्रश्न होंगे । इस प्रकार प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे ।

### 1.6.2 प्रवेश परीक्षा (पी.पी.टी.) अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का काउंसलिंग के समय तैयार की गई मेरिट सूची में 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा । उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित **प्रारूप-9** में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एंव युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

### 1.6.3 योग्यता क्रम सूचियां

**1.6.3.1** पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को संस्था एंव ब्रांच का आवंटन **पीईबी (पीपीटी-2017)** द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों Common Merit मेरिट के आधार पर किया जाएगा । एकीकृत योग्यता क्रम सूचियाँ (Common Merit Lists), के साथ-साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) श्रेणियों के लिये श्रेणीवार/वर्गवार अलग-अलग योग्यता क्रम सूचियां **पीईबी** द्वारा तैयार की जावेगी । डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में इन

योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

### **1.6.3.2 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)**

पी.पी.टी. 2017 परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी :—

समान अंक प्राप्त होने पर पीपीटी—2017 मे गणित विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा।

#### **टिप्पणी:-**

1. गणित विषय में भी समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा।
2. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

### **1.6.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :**

**1.6.4.1** शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों एवं जम्मू कश्मीर विस्थापित सीटों के लिये प्रवेश केवल पीपीटी—2017 की प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे।

**1.6.4.2** समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार—पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट [www.dtempcounselling.org](http://www.dtempcounselling.org) / [dte.mponline.gov.in](http://dte.mponline.gov.in) पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

**1.6.4.3 मूल प्रमाण—पत्र:** काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण—पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण—पत्र वापिस

कर दिये जायेगें। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण—पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।

**1.6.4.4** प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

**1.6.4.5** सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

### **1.7 प्रवेश का क्रम :-**

**1.7.1** सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान **मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों** समिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे।

**1.7.2** **मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों** के पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति.

**1.7.3** आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी।

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

**1.7.4** यदि काउंसलिंग के समय **पीईबी द्वारा** तैयार योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो

विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग), पीपीटी-2017 के अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक—पृथक अथवा साथ—साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) में उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में होंगे एवं जिसके लिये समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से परामर्श (काउंसलिंग) की सूची के अंतिम अभ्यर्थी को अवसर देने के पश्चात् यदि अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित करने का विनिश्चय किया जाता है तो उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में अंतर्गत विचार में लिए जाएंगे एवं जिसके लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा।

### **1.8 प्रवेश का रद्द किया जाना:-**

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। अतः यदि छात्र 07 अगस्त तक अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो संस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जायेगी तदापि परामर्श (काउंसलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा 07 अगस्त के

पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो उसके द्वारा संस्था में जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि भी वापसी योग्य नहीं होगी।

**(3) रद्दकरण के पश्चात् स्थानों की स्थिति :-**

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

**(4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।**

**1.9 शिक्षण तथा अन्य फीस :-**

राज्य शासन ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय—समय पर जारी किए हैं। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

**1.10** उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

**1.11** मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

**1.12 क्षेत्राधिकार—**

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट [www.dtempcounselling.org / dte.mponline.gov.in](http://www.dtempcounselling.org / dte.mponline.gov.in) पर उपलब्ध रहेगी।

v;/ k &2  
मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में  
सत्र 2017–18 से प्रवेश नियम

मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम—2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियमः—

**2.1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः—**

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रवेश नियम, 2008 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 15 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त है एवं संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू है।

**2.2. परिभाषाएः—**

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);
- (ख) “समुचित प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी;
- (ग) “प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति” से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति;
- (घ) “ए.आई.सी.टी.ई.” से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का 52) द्वारा स्थापित कानूनी निकाय;
- (ड.) “उपाबंध” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबंध;
- (च) “सामान्य प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक

महाविद्यालयों या संस्थाओं में गुणागुण आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणागुण के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा;

(छ) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(छ-1) “पाठ्यक्रम” से अभिप्रेत हैं कोई पाठ्यक्रम जिसकी नाम पद्धति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आदि)“

(ज) “फीस” से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार;

(झ) “अनिवासी भारतीय” का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115—ग के खण्ड (ड.) में उसके लिए दिया गया है;

(ञ) “प्राचार्य” से अभिप्रेत है, संस्था का प्रमुख;

(ट) “सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था” से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या पोषित नहीं है;

(ठ) “व्यावसायिक शिक्षण संस्था” से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;

(ड) “अर्हकारी परीक्षा” से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;

(ढ) “एकल खिड़की प्रणाली” से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन

परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;

(ण) "पी.ई.बी." से अभिप्रेत है, "प्रोफेशनल एंजामिनेशन बोर्ड" मध्यप्रदेश भोपाल;

(त) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा नियम पुस्तिका में उपयोग किये जाने वाले संक्षिप्ताक्षर निम्नानुसार हैं:-

1. "डी.टी.ई." से अभिप्रेत है डायरेक्टर टेक्नीकल एजूकेशन, मध्यप्रदेश;
2. "रा.गां.प्रौ.वि." से अभिप्रेत हैं राजीव गांधी प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से हैं;
3. "मध्यप्रदेश (म.प्र.)" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है;
4. "शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों" (TFW) से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (Supernumerary) रहेंगे, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल—निवासी अभ्यर्थियों को जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 6.0 (छ:) लाख रुपये से कम है, दिया जावेगा।
5. "सामान्य पूल" से अभिप्रेत है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी से भरे जा रहे हैं वहां इसका अर्थ होगा कि प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हों और जहां अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत कोई प्रवेश नहीं दिए जा रहे हों, वहां इसका अर्थ होगा, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान। प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे। अनारक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश के मूल—निवासी की बाध्यता लागू नहीं होगी अर्थात् अनारक्षित सीटों पर मध्यप्रदेश के मूल—निवासियों के साथ—साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।

### 2.3. लागू होना:-

ये नियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं (स्ववित्त पोषित) को लागू होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा यथा अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित कर रही संस्थाओं पर लागू होंगे।

## **2.4. प्रवेश नियमः—**

समस्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:—

### **2.4.1 स्थानों की उपलब्धता—**

मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार है:—

संस्थाओं के प्रकार	प्रवेश क्षमता की प्रतिशतता
निजी संस्थाए	<p>अ) उन संस्थाओं में जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिये और सक्षम प्राधिकारी से संस्थागत प्राथमिकता के अधीन स्थान भरने की अनुज्ञा प्राप्त नहीं की है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 100 प्रतिशत।</p> <p>ब) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, किन्तु जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन स्थान भरने के लिये आपना विकल्प नहीं दिया है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 95 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे)।</p> <p>स) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय वाले स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे)।</p>

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट [www.dtempcounselling.org/](http://www.dtempcounselling.org/) [www.mptechedu.org](http://www.mptechedu.org) पर उपलब्ध कराई जावेगी ।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या

विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी।

(ख-1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परीषद नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

#### **2.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण—**

प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अंतर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थानों में से) 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

#### **टिप्पणी :**

- (1) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।
- (2) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :—

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है,

उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित **प्रारूप-1** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2 / 96 / अ.प्र./ एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :—

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित **i 1&2** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 viii 2014** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र **i 1&10** में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2 / 96 / आ.प्र./ एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000 / आ.प्र./ एक, भोपाल दिनांक 06. 07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु स्थानों का आरक्षण :

कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/पुत्रियों के लिए निजी क्षेत्र की संस्थानों में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के वर्षामत दक्ष इवामद्व आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित **i 1&7** में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एंव कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं काश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एंव काश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप-8 में प्रमाण—पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

**(घ) शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट**

**(Tuition Fee Waiver Scheme):-**

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में दो/तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 6.0 लाख रूपये से कम है, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे.

**(ङ) एन.आर.आई. (NRI) सीटें:-**

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी

भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011” दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

#### 2.4.3 प्रवेश हेतु पात्रता :

- 1) जो भारत का नागरिक हो
- 2) शैक्षणिक अर्हता

पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु उम्मीदवार का विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों के माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। **किन्तु फैशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम हेतु उम्मीदवारों को विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों का बंधन लागू नहीं होगा।**

नोट :-

1. माइनिंग एण्ड माइन सर्वेइंग/माइन सर्वेइंग पाठ्यक्रमों के लिये महिला उम्मीदवारों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, साथ ही माइनिंग में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2017 को 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, शारीरिक रूप से अक्षम छात्र जो खदानों में कार्य करने के मापदंड के अनुसार नहीं होंगे वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही वे प्रवेश के पात्र होंगे।
2. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी तथापि उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस के अंक नहीं जोड़े जावेंगे।
3. पीपीटी-2017 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र 2016-17 में सम्मिलित हो रहे हैं, भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें परामर्श के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करना होगी।
4. ऐसे उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिये परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित करना होगा।

### 3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकताएं

#### (M.P. Domicile Requirements)

सामान्य पूल की सीटों जिनपर नियमानुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, इन सीटों पर प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी:-

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण—पत्र **प्रारूप-6** अनुसार अथवा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा—पत्र **प्रारूप-6 (अ)** में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

#### 2.4.4 प्रवेश की रीति

राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से। प्राधिकृत अभिकरण सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा तथा अधिसूचित करेगा।

**राज्य शासन द्वारा अधिकृत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (P.E.B.) मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित की जाने वाली पीपीटी-2017 की जारी की जाने वाली मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।**

#### 2.5 प्रवेश की प्रक्रिया

##### 2.5.1 ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया

*(Online Offcampus Admission Procedure):*

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियाँ (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा।

ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

### **2.5.2 अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश की प्रक्रिया:-**

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अन्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011” दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

### **2.5.3 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन –**

अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य पूल के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

## **2.6 प्रवेश हेतु चयन पद्धति :**

**2.6.1** पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये प्रोफेशनल एज्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा विज्ञान (भौतिकी एंव रसायन) तथा गणित विषयों में प्रवेश परीक्षा एक प्रश्न पत्र में पीपीटी 2017 आयोजित की जावेगी। प्रश्न पत्र में भौतिकी एंव रसायन शास्त्र विषय के 50–50 प्रश्न तथा गणित विषय के 50 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे।

### **2.6.2 प्रवेश परीक्षा (पी.पी.टी.) अंकों में अधिभार**

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का काउंसिलिंग के समय तैयार की गई मेरिट सूची में 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित **प्रारूप-9** में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एंव युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

### **2.6.3 योग्यता क्रम सूचियाँ**

**2.6.3.1** पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को संस्था एवं ब्रांच का आवंटन पीईबी (पीपीटी-2017) द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों Common Merit मेरिट के आधार पर किया जाएगा। एकीकृत योग्यता क्रम सूचियाँ (Common Merit Lists), के साथ-साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) श्रेणियों के लिये श्रेणीवार/वर्गवार अलग-अलग योग्यता क्रम सूचियाँ पीईबी द्वारा तैयार की जावेगी। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

**2.6.3.2 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)**

पी.पी.टी. 2017 परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी –

**समान अंक प्राप्त होने पर गणित विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा।**

#### **टिप्पणी:-**

1. गणित विषय में भी समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा।
2. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

### **2.6.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :**

**2.6.4.1** शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों एवं जम्मू कश्मीर विस्थापित सीटों के लिये प्रवेश केवल पीपीटी-2017 की प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे।

**2.6.4.2** समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट [www.dtempcounselling.org](http://www.dtempcounselling.org) / [dte.mponline.gov.in](http://dte.mponline.gov.in) पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

**2.6.4.3 मूल प्रमाण-पत्र :** काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण-पत्र वापिस कर दिये जायेंगे। **उम्मीदवारों को मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।**

**2.6.4.4** प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

**2.6.4.5** सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

## 2.7 प्रवेश का क्रम :-

**2.7.1** सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान समान्य पूल में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से भरे जाएंगे।

**2.7.2** केवल उन संस्थाओं को, जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त आय से स्नातक, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहमति दी हो, स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को सर्वप्रथम राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रमस्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यताक्रम में एवं तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के योग्यताक्रम में और एआईसीटीई/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर प्रवेश नियम-2008 (यथा संशोधित) तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार भरने की अनुमति दी जावेगी।

**2.7.3** सामान्य पूल के परामर्श (काउंसलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:— अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति।

**2.7.4** आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी।

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी हैं को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

**2.7.5** यदि काउंसलिंग के समय **पीईबी द्वारा** तैयार योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग), पीपीटी-2017 के अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक—पृथक अथवा साथ—साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) में उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में होंगे एवं जिसके लिये समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से परामर्श (काउंसलिंग) की सूची के अंतिम अभ्यर्थी को अवसर देने के पश्चात् यदि अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित करने का विनिश्चय किया जाता है तो उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में अंतर्गत विचार में लिए जाएंगे एवं जिसके लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा।

## **2.8 प्रवेश का रद्द किया जाना:-**

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। अतः यदि छात्र 07 अगस्त तक अपना प्रवेश निरस्त करता है तो संस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जायेगी तदापि परामर्श (काउंसिलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा 07 अगस्त के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो उसके द्वारा संस्था में जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि भी वापसी योग्य नहीं होगी।

## **(3) रद्दकरण के पश्चात् स्थानों की स्थिति :-**

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

## **2.9 शिक्षण तथा अन्य फीस :-**

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय-समय पर जारी किए हैं। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

संस्थागत प्राथमिकता की सीटों का शिक्षण शुल्क अधिकतम **रु. 1.50 लाख** प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये देय होगा एवं संस्था विशेष उपर्युक्त सीटों पर इससे कम शिक्षण शुल्क पर भी प्रवेश दे सकेगी तथापि यह शिक्षण शुल्क सामान्य पूल की सीटों के शिक्षण शुल्क से किसी भी

परिस्थिति में कम न होगा परन्तु संबंधित संस्था द्वारा इस आशय की अग्रिम सूचना समिति को तथा सक्षम प्राधिकारी को देना होगी।

**2.10 नियमों/प्रक्रियाओं का उपांतरणः—**

मध्यप्रदेश राज्य सरकार, स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् प्रवेश के लिए किसी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस प्रकार किया गया कोई उपांतरण आबद्धकर होगा।

**2.11 अभिकरण की ओर से किसी उल्लंघन या इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन से व्यथित कोई अभ्यर्थी, प्रक्रिया या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद हेतु तथा अधिकथित चूक दर्शाते हुए समिति को आवेदन कर सकेगा।**

**2.12 पाठ्यक्रमः—**

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रम तालिका में दिए गए हैं।

**2.13 निर्वचनः—**

इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

**2.14 अधिकारिता:-**

किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट [www.dtempcounselling.org](http://www.dtempcounselling.org) एवं [dte.mponline.gov.in](http://dte.mponline.gov.in) पर उपलब्ध रहेगी।

v/; k &3

i kQs kuy , Xt kfeus k ckM Hki ky ijhkk l pkyu ds fu; e , oafunZk

### [ k M&v

- 3-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। vH FkZ 'kSk.lk vgZkvka dk HyHkW v/; ; u mijklr gh vlosnu i = HjA
- (ii) आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- 3-2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें **काउंसलिंग** की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) **काउंसलिंग** की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित सीट के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।
- 3-3 ijhkk gky easystkusgrqvlo'; d l kexh %&
- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश—पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन।(उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, झायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, विद्यालय के प्राचार्य से अभ्यर्थी का सत्यापित फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। bZvkNj eH; ughagA
- 3-4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।
- 3-5 fyf[ kr ijhkk easfu%ldrt u vH fflZ kadsfy, mi yCk l fo/k, i %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-८-२/०५/आ.प्र./एक, दिनांक ०८.०९.२०११ के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :—

(i) ; g l fo/kk fuEufyf[ kr vH fflZ k dks i zku dh t kosk %

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट १९९५ में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. लेखन लिपिक (सहायक) या अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जावेगी।

(ii) y{ku fyfi d ¼ gk d½dh l fo/kk %

1. परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से १० दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ—पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
2. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता/प्रश्न—पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए।
3. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

(iii) vfrfjDr l e; gsrq 'kr%&

1. यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त समय चाहता है तो परीक्षा दिनांक से १० दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ—पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
2. यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :—

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

ukV & fcIhqØ- 3-5 dh dfMdk & (i) eamYsf[ kr fu; e dks i wZ djus okys vH fKZ ; fn y{ku fyfi d ¼ gk d½ ; k vfrfjDr l e; plgrs gk rks gh i hbZh dk k; dks mijkDr l e; kof/k eavlonu dj l drs g%

### 3-6 i<sub>o</sub>s k&i = i<sub>o</sub>r d<sub>o</sub>us dh i f<sub>o</sub>; k %

ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश—पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

ukV& i<sub>o</sub>s k i = t k j h g<sub>o</sub>is ds mi j k r fdl h rjg dk =fV l qk j ugha fd; k t k s k , oa fdl h Hh i zlkj dh =fV nf'Vxkpj g<sub>o</sub>is i j i hbZch vWYkbZu vlosu&i= dk s jna@fujLr@ i fjofrZ d<sub>o</sub>us dk vf/kdkj l jf{k r j [krk gA

### 3-7 i j h k i<sub>o</sub>s k&i = (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन—पत्रों के प्रवेश—पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, ck s gkfk ds vaxB s dk fu'ku तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- (iv) प्रवेश—पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

### 3.8 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

### 3-9 v- =fVi wZi zu] ml dk fujLrhdj.k , oacnys ea fn; k x; k vd %

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती हैं तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :—

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (v) यदि प्रश्न—पत्र के किसी प्रश्न के अंगेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न—भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न—पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के

अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

**mnkgj.k 01** :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

**mnkgj.k 02** :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

**mnkgj.k 03** :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

**ukV % l Hh x. luk dks n'keyo ds nksval hard dh t k, sh A**

(आदेश क्र. पी.ई.बी./5—प—1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

### 3.9 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प—1/11/22—2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा। जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of  $j^{th}$  candidate in  $i^{th}$  session  $\widehat{M}_{ij}$  is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

$M_{ij}$  is the actual marks obtained by the  $j^{th}$  candidate in  $i^{th}$

$\bar{M}_t^g$  is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

$M_q^g$  is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

$\bar{M}_{ti}$  is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the  $i^{th}$  session

$M_{iq}$  is the sum of the mean marks and standard deviation of the  $i^{th}$  session

(नार्मलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिये पी.ई.बी. की वेबसाइट देखें)

### 3.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :—

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप 11–12 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.9 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न—पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ—साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

### 3.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :—

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है :—

#### (अ) अनुचित साधन (Unfair means)/यू.एफ.एम. (UFM) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा/Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घंडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाइल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता प्रकट होती है
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यू.एफ.एम. प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे

| उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्तता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

**(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में**

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/ परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी के विरुद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

**3-12 ij h[kk i fj. lk dk i zlk ku %**

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ—साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाएंगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाएंगी।

**3-13 i j h[kk i fj. lk %**

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

**3-14 i kQs kuy , X t kfeus ku ckM Hki ky dk dk Z fyf[ kr i j h[kkvka dk l pkyu , oa ml dk i fj. lk ?kk'kr djuk ek= gkxk %**

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

- (ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

**3-15 ॥ k; d {k=k/kdkj & परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।**

## [ k M&C ]

3-16 vMykbZu vlonsu&i = ds l kfk l yXu fd; s t kus okys nLrkot k dk fooj . k %

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तालिपि को प्रपत्र i k i &13 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

3-17 vMykbZu vlonsu i = ds l kfk QkVks , oagLrkkj l yXu djus l cakh funzlk&

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तालिपि को प्रपत्र i k i &13 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मापदण्ड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ vlonsu Hj us dh frfFk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QkVksQ ij f[kokus dh fnukd o vlond ds uke dk Li "V mYsyk gkuk plkg; A यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/कलीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

### 3-18 , e-i h vWylbz fd; kld ds ek; e l s vlosnu QleZHjus dh fof/k %

- (i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाहीं गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।
- (ii) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन—पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।
- (iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही—सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन—पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

### 3-19 vWylbz vlosnu Hjus ds l ak ea funZk %

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) vklond dks vlosnu i= ea 'kj h j ds LFk h fpUg rFk i j h lk ds l e; iLr fd; s t kus okys QkVks igpku i= dk fooj.k rFk Øekd vfuoq Z: i l s vldr fd; k t kuk gkskA buds vHk ea vlosnu i= Lohdkj ugh gkskA
- (iii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) vkulzbz vlosnu i= ea vklond dk viuk vklkj dkM Øekd vfuoq Z%vldr fd; s t kus dk i k/ku j [lk gSA bl ds mi ; kx l s
  1. आवेदन पत्र में आधार नम्बर की प्रविष्टि करना।
  2. उपरोक्त आधार नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रेजिडेंट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टि करना इस हेतु एम.पी.ऑनलाईन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टीलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु आवेदक के

रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके ।

3. जिन अभ्यर्थियों का आधार नामांकन में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर परिवर्तित होगा उन अभ्यर्थियों को मात्र आधार नम्बर प्रविष्ट करना पार्याप्त होगा, किन्तु वे e-KYC का लाभ नहीं ले सकेंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां करनी पड़ेंगी ।
4. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाना है अब तक यह सत्यापन आधार (Aadhar) से लिंक नहीं था । इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू. संपादित किया गया है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिल्ड सत्यापन रजिस्ट्रेशन डेस्क पर स्वतः हो सकेगा ।
5. जिन अभ्यर्थियों के पास आधार नम्बर नहीं है उनका Biometric Data/Thumb impression रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पृथक से Capture किया जायेगा तथा इस डाटा को पी.ई.बी. के सर्वर में नियमानुसार सुरक्षित रखा जायेगा ।
6. यदि किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन डेस्क पर Biometric सत्यापन पर कोई त्रुटि आ रही है तो अभ्यर्थी का पर्याप्त परीक्षण किया जाकर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी ।
7. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोड और सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

### 3-20 vMybZu vlosu&i = Hj us dh Q oLFk %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र एम.पी.आनलाईन की **ocl bX** [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) के माध्यम से भरा जा सकता है ।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टर) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है ।
- (iii) सीधी भर्ती—बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा ।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन—पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन—पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की बेवसाईट के माध्यम से प्रवेश—पत्र प्राप्त किया जा सके ।

### 3-21 vMybZu vlosu&i = Hj us grqnk fodYi g%&

½b½b½juV dQs }kj k ½; Kd½

½Lo; ads dE; Wj }kj k

- (i) आवेदक बेवसाईट [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

**Application** किलक कर

**Vyapam** लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **funZk@Instructions** तथा परीक्षा **fu; e@Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को किलक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही—सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन—पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तालिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तालिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन—पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन—पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन—पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :—

**1&½ØfMV@McV dkMZ  
½bVjuV cfdx**

### 3-22 ØfMV@McV dkMZds ek; e l s i j hkk 'Wd dk Hkrku %&

- (i) आवेदन—पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

### 3-23 bVjuV cfdx ds ek; e l s i j hkk 'Wd dk Hkrku %&

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा। आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन

### 3-24

आवेदन—पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **[Unpaid Application]** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन—पत्र जमा कर रखीद एवं ऑनलाईन आवेदन—पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया / करवाया जा सकता है।

- 3-25 fu/kj r frffk eat ek fd, x, vWylbz vlosnu i = eal alkku dh Q oLFkk**
- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:—
  - (ii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
  - (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन—पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
  - (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
  - (v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा / अजजा / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
  - (vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति / अनु.जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
  - (vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता / माता / पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
  - (viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
  - (ix) ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन—पत्र क्रमांक, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
  - (x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।
- 3-26 , d l s vf/ld vWylbz vlosnu&i = Hjus l talk funZk %**
- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन—पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता / पति का नाम,

माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं? यदि आवेदक द्वारा “हॉ” विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन—पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन—पत्र ही मान्य होगा।

- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प “हॉ” का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन—पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन—पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

### **3-27 vWylbz vlosu&i = dk fujLrhdj.k %**

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

### **3-28 ऑनलाईन आवेदन—पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्र. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।**

### **3-29 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।**

### **3-30 i@i; kdu**

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात i@i; kdu का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

### **3-31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ़ी नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है।**



# [ k M&n

## vWylbz i jhkk izkyh ds l t&k ea funz

3-36

- (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेंगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त / जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित / संशोधित किया जा सकता है।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (xiii) ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।
- (xiv) परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के 30 मिनिट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

v/; k &04

i kB; Øe ½l ycl ½

स0क्र0	विषय	प्रश्नो की संख्या	अंको की संख्या
01	भौतिक शास्त्र	50	50
02	रसायन शास्त्र	50	50
03	गणित	50	50
कुल		150	

Hfrd 'kl= & ½0 ižu½

**xfr&** गति विस्थापन, एक समान तथा असमान गति, चाल और वेग, त्वरण गति के समीकरण ।

**cy&** बल, पिण्ड का जड़त्व, सन्तुलित बल, असंतुलित तथा त्वरण पिण्ड का द्रव्यमान, त्वरण और बल में संबंध, क्रिया और प्रतिक्रिया बलयुग्म ।

**xq Rokd"kl&** गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वीय त्वरण, स्थित विद्युत बल, चुम्बकीय बल ।

**dk &** बल द्वारा सम्पादित कार्य, कार्य और उर्जा में संबंध, गतिज उर्जा, स्थितिज उर्जा, संरक्षण नियम शक्ति ।

**rjx xfr&** तरंग की प्रकृति, माध्यम में तरंगों का संचरण, तरंगों के प्रकार, अनुदैर्घ्य, सरल आवर्त, गति ग्राफी निरूपण का आयाम, तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति में संबंध, तरंगों को परावर्तन तथा अपवर्तन, अनुप्रस्थ तरंगों के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम तरंगों के संचरण में उर्जा का स्थानान्तरण, प्रकाश और ध्वनि तरंग, उर्जा बहार के रूप में ।

**ekuo us=&** मानव नेत्र द्वारा प्रकाश तरंगों में वाहित उर्जा का अवगम, मानव नेत्र की संरचना एवं कार्यविधि नेत्र लेंस की फोकस दूर, रेटिना (दृष्टि पटल) पर प्रतिबिम्ब का बनाना, दृष्टिकोण निकट दृष्टि एवं दूरदृष्टि दोषों का निवारण वर्ण अवगम श्वेत प्रकाश का संगठन, विभिन्न वर्णों का तरंग दैर्घ्य, वस्तुओं का रंग, नेत्र में संवेदि कोशिकाएं शलका और शंकु, अंध बिन्दु वर्णन्धता ।

**njn' kl&** रचना और कार्यविधि सूक्ष्मदर्शी रचना एवं कार्यविधि ।

**m"ek&** उर्जा का रूप यांत्रिकी कार्य और उष्मा, उष्मा और ताप-मापन, उष्मा के प्रभाव, उष्मीय प्रसार एवं अवस्था परिवर्तन ।

**fo | q&** उर्जा का एक स्रोत, चालक एवं प्रतिरोधक, धारा विभवान्तर और

प्रतिरोध का मापन तथा इनमें संबंध। विद्युतधारा का उष्मीय प्रभाव उष्मीय विद्युत धारा, प्रतिरोध और धारा प्रवाह समय में परिणात्वमक संबंध, धारा के उष्मीण प्रभाव पर आधारित सचित्र उर्जा का मापन मात्रक एवं पावर।

**fo | t /kjk ds pcadh  
i zho**

**?kj sywfo | t i fj i Fk&**

विद्युतवाही चालक कुंडली और परितालिका का चुबंकीय क्षेत्र, विद्युत मोटर अनुप्रयोग, विद्युत चुबंकीय प्रेरणा, विद्युत जनित्र दृष्टि धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा (प्रारंभिक ज्ञान)।

वायरिंग फ्यूज, संभावित संकट और सुरक्षात्मक उपायों का प्रारंभिक ज्ञान।

## mt kZ

सूर्य उर्जा के स्त्रोत के रूप में पृथ्वी द्वारा और उर्जा का अवशेषण, सौर उष्मक, सौर सेल, पवन चक्की, जल विद्युत उत्पादन समुद्री तरंगों से विद्युत।

नाभिकीय उर्जा, नाभिकीय विखण्डन से विद्युत उर्जा परमाणु शक्ति संयंत्र, अवशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण, अवशिष्ट पदार्थ, जैव अवकर्षणीय, नाभिकीय तथा रेडियो एकिटव अवशिष्ट पदार्थ का समुचित विकास, विकिरण संकट, रेडियो एकिटव अवशिष्ट के हानिकारक प्रभाव रेडियो एकिटव के समुचित भंडारण की तकनीक। अंतर्दहन इंजन के प्रकार, अंतर्दहन इंजन का कार्य सिद्धान्त, उर्जा संकट के कारण एवं उनके निवारण हेतु उपाय, उर्जा अपव्यय की रोकथाम, उर्जा के गैर परंपरागत स्त्रोंतों का उपयोग।

**fo' o**

**i Foh-** भौतिक एवं जैविक अवयव, वायुमंडल उत्पत्ति से अब तक हुए परिवर्तन, जीवन की उत्पत्ति तथा निर्वाह में सौर उर्जा की भूमिका।

**l k̩ eMy**—ग्रह तथा उपग्रह सौर मंडल की संरचना पृथ्वी सहित ग्रहों की आयु।

**fo' o**—सौर मण्डल आकाश गंगा, युक्ति गैलेक्सिक, प्रसारी विश्व की उत्पत्ति बिग बैंक सिद्धान्त।

**varfj {k vlbsk k**—अंतरिक्ष अनवेषण का इतिहास अंतरिक्ष विज्ञान के अनुप्रयोग—कृत्रिम उपग्रह संचार, मौसम का नियंत्रण अन्य ग्रहों तथा बाह्य अंतरिक्ष संबंधित सूचनाओं का संग्रहण।

**j l k u 'kl= & ½ i žu ½**

**nø & i zdr , oaø ogkj**

**fHu fHu i nkFkZ, oa i zdr , oaø ogkj**

तत्त्व यौगिक एवं उनमें मिश्रण, द्रव्य की संरचना, अणु एवं परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रान, प्रोट्रान, न्यूट्रान नाभिकीय संगठन—परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, परमाणु की विभिन्न उर्जा स्तरों में इलेक्ट्रान वितरण संयोजी इलेक्ट्रान एवं संयोजकता परमाणु द्रव्यमान एवं आण्विक द्रव्यमान, मोल संकल्पना, यौगिकों का प्रतिशत संगठन।

**jkl k fud cak vk fud , oal g l akt h**

बंध का बनना, आयनिकों एवं सह संयोजी यौगिकों के मुख्य गुणधर्म।

**Hkrd , oajkl k fud ifjorZi-**

भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अन्तर संयोजी अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रियाएं अपघटन अभिक्रियाएं, मद एवं तीव्र अभिक्रियाएं उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण, रासायनिक समीकरण, उष्माक्षेपी और उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं।

**fo | t jkl k fud l sy&**

साधारण वोल्टीय सेल की रचना विद्युत रासायनिक सेल की कार्यविधि, सीस संचालक बेटरी एवं शुष्क सेल।

**fo | t vi ?Wu&**

विद्युत अपघटक में आयनों का संचलन, विद्युत अपघटक में निक्षेपित धातु की मात्रा का धारा एवं समय से संबंध विद्युत लेपन।

**rRok dks oxhZj . k%**

तत्वों के गुणों में समानताएं एवं असमानताएं, आवर्ती नियम, आवर्त एवं समूह, आवर्त समूहों में तत्वों के गुणों की क्रमिकता, आवर्त सारणी में तत्वों को पूर्वानुमान। जैव उर्जा जैव (Biomass) इंधन के रूप में जैव मात्रा। बायोगेस जीवश्म ईंधन के स्रोत कोयला प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम।

**ईंधन के प्रकार—**

ईंधन का उर्जा, ठोस द्रव और गैसीय ईंधन के अभिलक्षण, दहन हेतु प्रतिबंध, दहन में उत्पन्न उष्मा सजीव में भोजन का दहन।

**l rfyrr vkgkj dh vlo'; drk&**

कार्य की प्रकृति तथा आहार पोषक तत्वों की आवश्यकता एवं कार्य, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा विटामिन एवं खनिज लवण आदि कार्बोहाइड्रेट, वसा विटामिन तथा विटामिन तथा खजिन लवण स्रोत पोषक अल्प पोषण (न्यूनता) उत्पन्न रोग एवं उनके लक्षण, प्रोटीन उर्जा कुपोषण, खनिज लवण कुपोषण, रोग के लक्षण अपर्याप्तता के कारक नियंत्रक अतिपोषण के स्थूलता एवं अन्य जटिलताएं कुप्रभाव हृदय वाहिका संबंधी उक्त्रम विकार दांतों का कार्वरण (Mottling) तथा फ्लूरोसिस अति विटामिनता (Hypervitaminosis) एल्कोहन, धूम्रपान, दवाओं तथा मादक पदार्थ की लत से उत्पन्न अक्रम विकार।

## **खनिज चक्र—**

कार्बन चक्र कार्बन और उसके यौगिक की भूमिका, नाइट्रोजन-चक्र नाइट्रोजन रिथरीकरण, ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन प्रक्रम, जल चक्र, विभिन्न चक्रों में उर्जा की भूमिका।

## **परिस्थितिकी संतुलन—**

संतुलन बिगड़ने में मानव की भूमिका परिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिये प्रयास। माध्यमिक जल विलायक के रूप में संतृप्त एवं असंतृप्त समुद्री जल जीवों के आवास के रूप में लवण, जल के उपयोग।

## **वायु—**

विकिरण से सुरक्षा में वायुमंडल की भूमिका, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल में जल एवं अन्य कणिकीय द्रव्य कॉर्बन डाई ऑक्साइड एवं उसका जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव वृक्षों की भूमिका, जीवाश्म ईंधन एवं स्वचलित वाहनों द्वारा कार्बन डाईऑक्साइट का उत्सर्जन धातुओं का संरक्षण, अम्लीय गैसों द्वारा ऐतिहासिक स्मारों की क्षति, जीवधारियों पर एस्वेस्टस धातुकणों इत्यादि का प्रभाव, कार्बन मोनो ऑक्साइड तथा इसका कुप्रभाव धूप कोहरा, वायु प्रदूषण और इसका मानव पर प्रभाव।

**i kldfrd l d kluks i j ekuo dh fuHJrk&**

पृथ्वी से प्राप्त खनिज धातु एवं अधातु, अधातुओं के उपयोग। कार्बन और उसके यौगिक कार्बन और हाइड्रोकार्बन के गुणधर्म, पेट्रोलियम उत्पाद, धातुओं का निष्कर्षण, तथा कुछ मिश्र धातुओं के गुणधर्म, धातु की अधातुओं तथा कुछ धातुओं के घरेलु एवं औद्योगिक उपयोग।

**xf. kr& ½ zu 50½**

**cht xf. kr**

(1)परिमित और अनन्त समुच्चय, उप समुच्चय, रिक्त समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, पूरक समुच्चय तथा उनका अनुप्रयोग।

(2)पूर्णक के समुच्चय पूर्ण संख्याएं पूर्णक एवं परिमेय संख्याओं का पुनरीक्षण अपरिमेय संख्याओं का समाप्त होने वाले और पुनरावृत्ति न किए जाने वाले दशमलवों के रूप में परिचय। करणी का परिमेयकरण। वास्तविक संख्याएं तथा वास्तविक संख्यों के समुच्चय के गुणों का कथन।

(3)प्रमेय और अनुप्रयोग, बहुपदों के गुणनखण्ड करने में जिसके घात चार से अधिक न हो बहुपदों महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य गुणनफल एवं भागफल विधि द्वारा हल।

(4)दो चर राशियों के रेखिक समीकरण और उसका अरेख, दो चर राशियों की दो रेखिक समीकरण प्रणाली, समीकरणों की संगतता (कंसीस्टेंसी इनकंसीस्टेंसी) समीकरण प्रणाली के हल की बीजगणितीय विधि, विभिन्न क्षेत्रों में समीकरण प्रणाली के अनुप्रयोग।

## {k=fefr

आयत, वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या खण्ड अथवा धनु, धनाभ, शंकु, बेलन एवं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ।

## f=dks kfefr

(1) त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं

उपरोक्त सूत्र पर आधारित सरल सर्वसमिकां पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात

(2) उचाई और दूरी पर प्रश्न

## T; kfefr

1/4 1/2      l e: i f=Ht %

1. यदि किसी त्रिभुज में भुजा के समानान्तर एक सरल रेखा खीची जाये तो वह अन्य दो भुजाओं को उसी अनुपात में विभक्त करती है।
2. यदि कोई त्रिभुज में कोई सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करें तो यह तीसरी भुजा के समानान्तर होती है।
3. यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हों तो उसकी संगत भुजाएं समान अनुपाती होती है।
4. यदि दो त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज आपस में समान कोणिक होता है।
5. यदि त्रिभुज आपस में समान कोणिक हों तो त्रिभुज समरूप होगें।
6. यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपात में हो तो त्रिभुज समरूप होगें।
7. यदि दो त्रिभुजों में एक का कोण दूसरे के संगत कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को बनाने वाली भुजाएँ समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होगें।
8. यदि किसी त्रिभुज की शीर्ष से कण पर लंब डाला जाये तो लंब के दोनों और बनाने वाले त्रिभुज आपस में समरूप होगें और दिये हुए त्रिभुज के समरूप होगें।
9. समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं पर बने वर्गों के अनुपात के समान होता है।
10. किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर होता है तो तीसरी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है।

## **12½ or %**

1. यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएँ बराबर हों तो आपस में सर्वांगसम होंगे।
2. यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर हों तो उनकी संगत जीवाएँ बराबर होती हैं, इसका विलोम।
3. यदि किसी वृत्त के केन्द्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को दो बराबर भागों में विभक्त करता है और इसके विपरीत जीवा के मध्य बिन्दु से वृत्त के केन्द्र को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा पर लंब होती है।
4. एक और केवल एक ही वृत्त उन तीन बिन्दुओं से होकर खींचा जा सकता है जो एक सरल रेखा में न हो।
5. इसी वृत्त में तुल्य जीवाएँ केन्द्र से समान दूरी पर होती हैं और इसके विपरीत यदि किसी वृत्त में दो जीवाएँ वृत्त के केन्द्र से बराबर दूरी पर हो तो वे आपस में बराबर होती हैं।
6. वृत्त के किसी चाप द्वारा केन्द्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि की किसी बिन्दु पर बने कोण का दुगुना होता है।

## अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण—पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....	जिला.....	मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....		प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....		

### स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .....  
..... पिता / पति का नाम .....  
..... निवासी ग्राम / नगर ..... वि.खं .....  
..... तहसील ..... जिला ..... संभाग .....  
..... के ..... जाति / जनजाति का / की सदस्य है और  
इस जाति / जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के  
संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और  
यह ..... जाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन)  
अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ..... पर  
अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / कुमारी .....  
..... पिता / पति का नाम .....  
अनुसूचित जाति / जनजाति का / की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी .....  
के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए ..... है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर

(सील)

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

- टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति ।
- (2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण—पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना ।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर ।

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित  
स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण—पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी  
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश  
पुस्तक क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....  
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

**जाति प्रमाण—पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी  
ग्राम/शहर..... तहसील..... जिला..... मध्य प्रदेश के  
निवासी हैं, जो..... जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम  
जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8—5 पच्चीस 4—84,  
दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23—4—97—चौवन,  
दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय—समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है  
और सूची के क्रमांक..... पर अंकित है।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के  
जिला..... संभाग..... में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1- आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी..... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये..... है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक..... को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर

(सील)

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

### सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

**भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी**

**संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
जो (प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी का नाम).....  
द्वारा संचालित (प्रवेश परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....  
के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम  
में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के  
पिता/माता है—

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के  
समय वे .....पद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक.  
.....था।

#### अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर  
सर्विस क्रमांक.....के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे  
स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.....में हो  
चुकी है।

स्थान :.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के  
हस्ताक्षर

दिनांक:.....

(कार्यालय सील)

## मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
जो (प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी का नाम).....  
द्वारा संचालित (प्रवेश परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....  
के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम  
में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी..... के  
पिता/माता है—

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना में .....  
ओहदे पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है  
और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है वे इस इकाई में दिनांक.....  
से सेवारत है।

### अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में .....  
ओहदे पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा  
कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

स्थान :.....

हस्ताक्षर : आफिसर कमांडिंग

दिनांक:.....

(कार्यालय सील)

**भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में  
व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र**

संदर्भ क्रमांक.....	दिनांक.....
मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण—पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी (उम्मीदवार का नाम).....	.....
जो(प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी का नाम).....	.....
द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) ..... वर्ष ..... के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार से ..... पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री / कुमारी..... के पिता / माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से .....(स्थान) तहसील..... जिला.....में व्यवस्थापित हो गये हैं।	.....

स्थान : .....  
दिनांक: .....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

**स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र**

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... (उम्मीदवार का नाम) श्री/श्रीमती..... (उम्मीदवार के पिता/माता का नाम) के/वैध (Legitimate) पुत्री/पुत्र हैं जो श्रीमती..... (स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का नाम) के/वैध (Legitimate) पुत्री/पुत्र हैं।
  
2. श्री/श्रीमती..... (स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला ..... (जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सैनानी की पंजी (Register) में क्रमांक..... पर पंजीकृत है।

स्थान : .....  
दिनांक: .....

हस्ताक्षर कलेक्टर

(कार्यालय सील)

## प्रारूप—6

स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण—पत्र

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार

टप्पा/तहसील..... जिला.....

प्र.क्र

वर्ष.....

दिनांक.....

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहा आवेदक का

पासपोर्ट साईज का

फोटो लगाया जाये जो

प्राधिकृत अधिकारी

द्वारा सत्यापित किया जायें

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु..... पिता/पति.....  
 .....निवासी..... तहसील.....  
 . जिला..... (मध्यप्रदेश). राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास  
 प्रमाण—पत्र जारी किये जाने के लिये प्रभावशील ज्ञाप दिनांक..... में निर्धारित मापदण्ड की  
 कण्डिका क्रमांक  
 की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2.\* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक.....दिनांक  
 .....के अधीन आवेदक द्वारा दिये विवरण अनुसार की पत्ती/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे  
 वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है:-

टीप:- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु  
 विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ—पत्र के आधार पर जारी)

ह.तहसील/नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....

\*लागू न होने पर काट दें।

- यह प्रमाण पत्र यदि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त है तो उसे भी मान्य किया जावेगा।  
 (मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी—3—7—2013—3—एक, दिनांक 25 / 09 / 2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा—पत्र)

LFkuh fuokl h gsrq

Lo i ekl.kr ?k&k k&i =

4LVkEir dkxt ij½

QWks  
Lo i ekl.kr

मैं ..... आत्मज / पति श्री ..... आयु लगभग .....  
वर्ष शपथपूर्वक कथन करता / करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में .....  
मैं निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमती ..... एवं उम्र (लगभग).....  
वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र / पुत्री—
  1. श्री / कु..... आयु (लगभग) ..... वर्ष
  2. श्री / कु..... आय (लगभग) ..... वर्ष
4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी—3—7—2013—3—एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 वर्णित निर्देश के अन्तर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन—जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)
  1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर .....मोहल्ला ..... ग्राम .....  
तहसील ..... जिला ..... में वर्ष ..... मैं पैदा हुआ / हुई हूँ।
  2. मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम / मोहल्ला ..... शहर ..... तहसील .....  
.....जिला ..... में विगत 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हूँ।  
(आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष निरन्तर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ—कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)
  3. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम ..... कार्यालय का नाम ..... विभाग का नाम ..... के पद पर पदस्थ हूँ / से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
  4. मैं मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत स्थापित ..... नामक संस्था / निगम / मण्डल / आयोग में ..... पद पर .....  
..... कार्यालय में सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।  
(कार्यरत / सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय / जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें।

5. मैं केन्द्र शासन के ..... विभाग में ..... के पद पर .....  
.....कार्यालय..... तहसील..... जिला..... के पद  
पद 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।  
(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)
6. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष ..... बैंच) अधिकारी हूँ। ..... पद पर .....  
कार्यालय/मंत्रालय..... में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ  
हूँ।  
(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)
7. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक..... पद पर महामहिम  
राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।  
(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाए)
8. मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि.....) निवास  
किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं। (इसकी  
पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण—पत्र संलग्न करें)।

हस्ताक्षर

### l R kiu

मैं.....आत्मज/पति श्री.....आयु..... वर्ष  
निवासी ..... सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा—पत्र की  
कण्डिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं  
विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही  
असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक  
जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ  
ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांक .....वर्ष ..... को स्थान.....  
..... में किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा—पत्र में किया जाये)

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण—पत्र

Office of the Zonal Officer  
TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that ..... S/o or  
D/o ..... R/o  
..... Tehsil  
..... District.....  
A/P..... Pin ..... is registered from No.  
..... R/Card No..... At  
S. No. ..... of his/her father ration card issued  
from this zone.

**Seal of Tehshildar**

**Zonal Officer / Tehshildar**

मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के  
नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक ..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
आत्मज/आत्मजा/श्री ..... जो ..... द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) ..... वर्ष.....  
के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) .....में जम्मू एवं  
कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है ।

श्री ..... (उम्मीदवार का नाम) के पिता/माता  
श्री/श्रीमती ..... मध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी/  
कर्मचारी हैं जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण  
हेतु दिनांक ..... से दिनांक ..... तक .....  
... (स्थान का नाम) में रही है ।

स्थान ..... हस्ताक्षर

दिनांक ..... (सील)

**राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले  
खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र**

संदर्भ क्रमांक ..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
 आत्मज/आत्मजा/श्री ..... ने वर्ष ..... की .....  
 ..... में भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं  
 खेल विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर आयोजित .....  
 ..... राष्ट्रीय प्रतियोगिता में .....  
 ..... स्वर्ण पदक अर्जित किया है ।

स्थान ..... संचालक

दिनांक ..... खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश  
 हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

**नोट :—** ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य  
 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नहीं माना जावेगा ।

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी—3—7—2013—3—एक, दिनांक  
 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा—पत्र)

**vk ckcr~Lo i zkf.kr ?kkk k&i =**

**¼ kns dkxt ij ½**

मैं..... आत्मज श्री..... आयु ..... वर्ष  
शपथपूर्वक कथन करता / करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में ..... में निवासरत हूँ।
2. मेरी नाम से ग्राम ..... में हैकटेयर/एकड़ कृषक भूमि है, जिससे मुझे रुपये ..... शब्दों में ..... की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय ..... है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये ..... शब्दों में ..... है।
4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये ..... शब्दों में ..... है।
5. मेरे परिवार निम्नानुसार सदस्य है:-  
 1..... 2..... 3..... 4..... 5  
 (परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये ..... शब्दों में ..... है।
7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। **vFlok**
8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग ..... समय पूर्व एक आय प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र राशि ..... रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि ..... वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।  
 (बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

**gLrkkj**

**l R ki u**

मैं..... आत्मज / पति श्री..... आयु ..... वर्ष, निवासी ..  
..... सत्यापन करता / करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक / दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे। सत्यापन आज दिनांक ..... वर्ष ..... को स्थान.....  
..... में किया गया।

**gLrkkj**

(देखें नियम 3.9 एवं 3.10)

प्रश्न—पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन

(नोट— यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक  
मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा )

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न—पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :—

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक / उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों  
के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

स्थान .....  
दिनांक .....

प्रारूप-12  
 (देखें नियम 3.9 एवं 3.10)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(नोट— यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा )

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	
प्रश्न पत्र का कोड	
परीक्षा शिफ्ट	
परीक्षा का समय	
परीक्षा शहर का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	

मण्डल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक ..... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :—

स.क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

.....  
आवेदक का नाम एवं पता.....

.....

दूरभाष क्रमांक.....  
दिनांक .....

# Professional Examination Board

प्रारूप—13

## प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

फोटो / Photo

Box-1

Predefined Template

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

### निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- Do your full signature within box-2, signature in capital letter or more than 1 should be invalid

### (निर्देश / Instruction)फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

### स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती है।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria

### स्व-घोषणा / Self-declaration

)ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स 3-के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in

your running hand writingin box-3, the declaration given above(



**तालिका—2**  
**सत्र 2017–18 में पोलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु संभावित  
 संस्थावार एवं ब्रांचवार सीटों की संख्या**

Institute Name	BranchCode	Branch Name	Type Description	Intake
Govt. Polytechnic College, Alirajpur	Civil	Civil Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
Govt. Polytechnic College, Anuppur	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
Govt. Polytechnic College, Ashoknagar	Civil	Civil Engineering	Government	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Badwani	Civil	Civil Engineering	Government	30
	CHM	Computer Hardware & Maintenance	Government	30
	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	IT	Information Technology	Government	30
	RAC	Refrigeration and Air conditioning	Government	30
Govt. Polytechnic College, Balaghat	Civil	Civil Engineering	Government	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Betul	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60

Govt. Polytechnic College, Dabra	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
Govt. Polytechnic College, Datia	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
Govt. Polytechnic College, Dewas	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Dindori	Civil	Civil Engineering	Government	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Harda	Civil	Civil Engineering	Government	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Itarsi	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Jatara	Civil	Civil Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
Govt. Polytechnic College, Jawad	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Katni	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Khirsadoh	Civil	Civil Engineering	Government	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
	IT	Information Technology	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60

Govt. Polytechnic College, Khurai	Civil	Civil Engineering	Government	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Mandsaur	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
Govt. Polytechnic College, Nasrullaganj	Civil	Civil Engineering	Government	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
Govt. Polytechnic College, Pachore	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Pawai	Civil	Civil Engineering	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Raghogarh	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	EI	Electronics & Instrumentation	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Raisen	Civil	Civil Engineering	Government	60
	Elect	Electrical Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Rajgarh	Civil	Civil Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
Govt. Polytechnic College, Rewa	CHM	Computer Hardware & Maintenance	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60

Govt. Polytechnic College, Sanawad	AE	Automobile Engg	Government	30
	Civil	Civil Engineering	Government	60
	CHM	Computer Hardware & Maintenance	Government	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Satna	CT	Cement Tech	Government	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Sendhwa	Civil	Civil Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
Govt. Polytechnic College, Seoni	Civil	Civil Engineering	Government	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Shahdol	Civil	Civil Engineering	Government	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Shajapur	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Sheopur	CHM	Computer Hardware & Maintenance	Government	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60

Govt. Polytechnic College, Shivpuri	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
Govt. Polytechnic College, Sidhi	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
Govt. Polytechnic College, Sironj	Civil	Civil Engineering	Government	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Tikamgarh	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Umaria	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Waidhan	Civil	Civil Engineering	Government	45
	Comp	Computer Science & Engineering	Government	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government	60
Govt. Polytechnic College, Morena	Comp	Computer Science & Engineering	Government [Ambedkar(BOYS)]	10
	ELECT	Electrical Engineering	Government [Ambedkar(BOYS)]	10
	ET	Electronics & Telecommunication	Government [Ambedkar(BOYS)]	10
	MECH	Mechanical Engineering	Government [Ambedkar(BOYS)]	10
	ARID	Architecture and Interior design	Government [GIRLS]	60
Govt. Womens Polytechnic College, Bhopal	Comp	Computer Science & Engineering	Government [GIRLS]	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government [GIRLS]	60

Govt. Womens Polytechnic College, Gwalior	ARID	Architecture and Interior design	Government [GIRLS]	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government [GIRLS]	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government [GIRLS]	60
	IT	Information Technology	Government [GIRLS]	60
	TD	Textile Design	Government [GIRLS]	60
Govt. Womens Polytechnic College, Jabalpur	Comp	Computer Science & Engineering	Government [GIRLS]	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government [GIRLS]	60
	Food	Food Tech	Government [GIRLS]	60
	TRAT	TRAVEL AND TOURISM	Government [GIRLS]	40
SATI (Polytechnic), Vidisha	AE	Automobile Engg	Government Aided	60
	CHEM	Chemical Engg	Government Aided	60
	Civil	Civil Engineering	Government Aided	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government Aided	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government Aided	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government Aided	60
	IT	Information Technology	Government Aided	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government Aided	60
	RPCT	Refinary and Petro Chemical (Petroleum Technology)	Government Aided	60

Shri Vaishnav Polytechnic College, Indore	AE	Automobile Engg	Government Aided	30
	Civil	Civil Engineering	Government Aided	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government Aided	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government Aided	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government Aided	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government Aided	60
	OT	Ophthalmic Tech	Government Aided	60
	OEE	Opto Electronics Engg	Government Aided	60
	PE	Production Engg	Government Aided	60
	TT	Textile Tech	Government Aided	60
Dr. B.R.A Govt Polytechnic College, Gwalior	Civil	Civil Engineering	Government Autonomous	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government Autonomous	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government Autonomous	60
	HMCT	HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY	Government Autonomous	40
	IT	Information Technology	Government Autonomous	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government Autonomous	60
	TT	Textile Tech	Government Autonomous	60
G.T. Govt Polytechnic College, Jaora	Civil	Civil Engineering	Government Autonomous	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government Autonomous	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government Autonomous	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government Autonomous	60

Govt Polytechnic College, Dhar	Comp	Computer Science & Engineering	Government Autonomous	60
	IT	Information Technology	Government Autonomous	60
Govt Polytechnic College, Nowgong	Civil	Civil Engineering	Government Autonomous	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government Autonomous	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government Autonomous	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government Autonomous	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government Autonomous	60
Govt Polytechnic College, Ujjain	CHEM	Chemical Engg	Government Autonomous	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government Autonomous	60
	CTM	Counstruction Tech and Managment	Government Autonomous	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government Autonomous	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government Autonomous	60
	IT	Information Technology	Government Autonomous	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government Autonomous	60
	PLT	Plastic Tech	Government Autonomous	60
	RPCT	Refinary and Petro Chemical (Petroleum Technology)	Government Autonomous	60

Govt. Polytechnic College, Damoh	Civil	Civil Engineering	Government Autonomous	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government Autonomous	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government Autonomous	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government Autonomous	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government Autonomous	60
Kala Niketan Govt Polytechnic College, Jabalpur	AE	Automobile Engg	Government Autonomous	60
	Civil	Civil Engineering	Government Autonomous	59
	Comp	Computer Science & Engineering	Government Autonomous	56
	ELECT	Electrical Engineering	Government Autonomous	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government Autonomous	60
	IT	Information Technology	Government Autonomous	56
	MECH	Mechanical Engineering	Government Autonomous	60
	PT	Printing Tech	Government Autonomous	60
MJP Govt. Polytechnic College, Khandwa	Civil	Civil Engineering	Government Autonomous	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government Autonomous	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government Autonomous	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government Autonomous	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government Autonomous	60
	RAC	Refrigeration and Air conditioning	Government Autonomous	60

S.V. Polytechnic College, Bhopal	AAT	Architectural Assistantship	Government Autonomous	60
	Civil	Civil Engineering	Government Autonomous	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government Autonomous	55
	CTM	Counstruction Tech and Managment	Government Autonomous	60
	ELECT	Electrical Engineering	Government Autonomous	65
	ET	Electronics & Telecommunication	Government Autonomous	65
	IT	Information Technology	Government Autonomous	55
	MECH	Mechanical Engineering	Government Autonomous	60
	PE	Production Engg	Government Autonomous	60
Govt. Womens Polytechnic College, Indore	ARID	Architecture and Interior design	Government Autonomous[GIRLS]	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government Autonomous[GIRLS]	60
	HMCT	HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY	Government Autonomous[GIRLS]	40
Govt Polytechnic College, Bhind [Special Co-Ed]	Civil	Civil Engineering	Government Girls [Special Co-Ed]	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government Girls [Special Co-Ed]	60
Govt. Polytechnic College, Khargone [Special Co-Ed]	Comp	Computer Science & Engineering	Government Girls [Special Co-Ed]	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government Girls [Special Co-Ed]	60
	IT	Information Technology	Government Girls [Special Co-Ed]	60

Govt. Polytechnic College,Panna [Special Co-Ed]	Comp	Computer Science & Engineering	Government Girls [Special Co-Ed]	60
Govt. Womens Polytechnic College, Sagar [Special Co-Ed]	ARID	Architecture and Interior design	Government Girls [Special Co-Ed]	60
	Comp	Computer Science & Engineering	Government Girls [Special Co-Ed]	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government Girls [Special Co-Ed]	60
Indira Gandhi Govt Polytechnic College, Chhindwara [Special Co-Ed]	Comp	Computer Science & Engineering	Government Girls [Special Co-Ed]	60
Jija Mata Govt. Polytechnic College, Burhanpur [Special Co-Ed]	Civil	Civil Engineering	Government Girls [Special Co-Ed]	30
	Comp	Computer Science & Engineering	Government Girls [Special Co-Ed]	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government Girls [Special Co-Ed]	60
	MECH	Mechanical Engineering	Government Girls [Special Co-Ed]	30
	TRAT	TRAVEL AND TOURISM	Government Girls [Special Co-Ed]	40
V.M. Govt. Polytechnic College, Narsinghpur [Special Co-Ed]	Comp	Computer Science & Engineering	Government Girls [Special Co-Ed]	60
	ET	Electronics & Telecommunication	Government Girls [Special Co-Ed]	60
Acropolis Institute of Technology & Research, Indore (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Acropolis Technical Campus, Indore (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Aditya College of Technology & Science, Satna (SECOND SHIFT)	CT	Cement Tech	PRIVATE	60
	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	MECH	Mechanical Engineering	PRIVATE	60

Alia Polytechnic College, Bhopal	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	120
	Comp	Computer Science & Engineering	PRIVATE	60
	ELECT	Electrical Engineering	PRIVATE	120
	EC	Electronics and Communication	PRIVATE	120
	MECH	Mechanical Engineering	PRIVATE	120
Alia Polytechnic College, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Alpine Institute of Technology, Ujjain	ELME	Electrical & Mechanical Engg.	PRIVATE	60
Alpine Institute of Technology, Ujjain (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Elect	Electrical Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Astral Institute of Technology & Research, Indore (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Babul Tarabai Institute of Research & Technology, Sagar (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Comp	Computer Science & Engineering	PRIVATE	60
Balaji Institute of Technology, Barwani (SECOND SHIFT)	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Bhabha Engineering Research Institute, Bhopal (SECOND SHIFT)	Elect	Electrical Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
BM College of Technology, Indore (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60

Central Institute of Technology (Polytechnic), Indore	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Comp	Computer Science & Engineering	PRIVATE	60
	ELECT	Electrical Engineering	PRIVATE	60
	EC	Electronics and Communication	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Girdhar Siksha Evam Samaj Kalyan Samiti Group of Institutions, Mandideep, Raisen (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Global Institute of Engineering & Science, Barwani (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Global Nature Care Sangathan's Group of Institutions, Jabalpur (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Gyan Sagar College of Engineering, Sagar (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
Gyanodaya College of Excellence (Poly)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Elect	Electrical Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Ideal Institute of Information Technology Management, Gwalior	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	120
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	120
IES College of Technology, Bhopal	EC	Electronics and Communication	PRIVATE	60
IES College of Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	120

IES Institute of Technology & Management, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	ELECT	Electrical Engineering	PRIVATE	60
Infinity Management & Engineering College, Sagar (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
ITM GROUP OF INSTITUTIONS (Technical Campus), Gwalior (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Comp	Computer Science & Engineering	PRIVATE	60
	ELECT	Electrical Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Jai Narain College of Technology and Science, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	ELECT	Electrical Engineering	PRIVATE	60
Jawaharlal Institute of Technology, Borawan, Khargone (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	120
	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Jawaharlal Nehru College of Technology, Rewa (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	120
Jaypee Polytechnic & Training Centre, Rewa	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Comp	Computer Science & Engineering	PRIVATE	40
	ET	Electronics & Telecommunication	PRIVATE	40
	MECH	Mechanical Engineering	PRIVATE	40

Kopal Institute of Science & Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	ELECT	Electrical Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Lakshmi Narain College of Technology & Science, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Lakshmi Narain College of Technology, Jabalpur (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Laxman Seth Polytechnic College, Dinara, Tehsil-Karerha, Shivpuri	AE	Automobile Engg	PRIVATE	60
	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Comp	Computer Science & Engineering	PRIVATE	60
	Elect	Electrical Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Laxmipati Institute of Science & Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Madhav Prodyogiki Mahavidhyalaya, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Mahakal Instute of Technology, Ujjain (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Comp	Computer Science & Engineering	PRIVATE	60
Malwa Institute of Science & Technology, Indore (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	COMP	Computer Science & Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60

Malwa Institute of Technology & Management, Gwalior (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Malwa Institute of Technology, Indore (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Mandsaur Institute of Technology, Mandsaur (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
Mansarovar Institute of Science & Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Manthan Polytechnic College, Sehore	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Comp	Computer Science & Engineering	PRIVATE	60
	ELECT	Electrical Engineering	PRIVATE	60
	EC	Electronics and Communication	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Millenium Institute of Technology and Science, Bhopal (SECOND SHIFT)	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Millenium Institute of Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Mittal Institute of Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
NRI Institute of Research & Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	EC	Electronics and Communication	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60

Ojaswini Institute of Management & Technology, Damoh (SECOND SHIFT)	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Oriental Institute of Science & Technology, Jabalpur (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Patel College of Science & Technology, Indore (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Patel Group of Institutions (Patel College of Science & Technology, Bhopal)	EC	Electronics and Communication	PRIVATE	60
	IT	Information Technology	PRIVATE	60
Patel Group of Institutions (Patel College of Science & Technology, Bhopal) (SECOND SHIFT)	Comp	Computer Science & Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Patel Group of Institutions (Patel Institute of Engineering & Science, Bhopal) (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Patel Group of Institutions (Patel Institute of Technology, Bhopal) (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	ELECT	Electrical Engineering	PRIVATE	60
Prestige Institute of Engineering Management and Research, Indore (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	120

Priyatam Institute of Technology, & Management, Indore (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Radha Raman Institute of Research, & Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	EC	Electronics and Communication	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Radharaman Engineering College, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	120
	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Radhaswami Institute of Technology, Jabalpur (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	ELECT	Electrical Engineering	PRIVATE	60
	EC	Electronics and Communication	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Rajeev Gandhi Prodyogiki Mahavidyalaya, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Rajeev Gandhi Prodyogiki Mahavidyalaya-2, Bhopal (SECOND SHIFT)	Comp	Computer Science & Engineering	PRIVATE	60
	EC	Electronics and Communication	PRIVATE	60
RAMNATH SINGH INST OF Technology & Science, GWALIOR	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Comp	Computer Science & Engineering	PRIVATE	60
	EC	Electronics and Communication	PRIVATE	60
	IT	Information Technology	PRIVATE	60
	MECH	Mechanical Engineering	PRIVATE	60

RKDF College of Technology, Jatkchedi, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
RKDF School of Engineering, Indore (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Royal College of Technology, Ratlam	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Elect	Electrical Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Sagar Institute of Research & Technology - Excellence, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	120
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	120
SAM College of Engineering & Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Saraswati Institute of Engineering & Technology, Jabalpur (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Sardar Patel College of Technology, Balaghat (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	EC	Electronics and Communication	PRIVATE	60
Sardar Patel Polytechnic College, Balaghat	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Comp	Computer Science & Engineering	PRIVATE	60
	Elect	Electrical Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60

Scope College of Engineering Bhopal (SECOND SHIFT)	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Shiv Kumar Singh Institute of Technology & Science, Indore	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
Shiv Kumar Singh Institute of Technology & Science, Indore (SECOND SHIFT)	ELECT	Electrical Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Shri Balaji Institute of Technology & Management, Betul (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Shri Ram College of Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Shri Rawatpura Sarkar Polytechnic, Chitrakoot, Satna	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	120
	Elect	Electrical Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	120
Sri Aurobindo Institute of Technology, Indore (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
St. Aloysius Institute of Technology, Jabalpur (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Swami Vivekanand College of Engineering, Indore (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Takshshila Institute of Engineering & Technology, Jabalpur	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60

Takshshila Institute of Engineering & Technology, Jabalpur (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	120
Technocrats Institute of Technology & Science, Bhopal (SECOND SHIFT)	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Thakur Shiv Kumar Singh Memorial Polytechnic College, Burhanpur	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	CHM	Computer Hardware & Maintenance	PRIVATE	60
	Comp	Computer Science & Engineering	PRIVATE	60
	Elect	Electrical Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Trinity Institute of Technology & Research, Bhopal (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	120
Vidhyapeeth Institute of Science & Technology, Bhopal (SECOND SHIFT)	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Vikrant Institute of Technology & Management Indore (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	120
Vikrant Institute of Technology & Management, Gwalior (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Elect	Electrical Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	120

Vindhya Institute of Technology & Science, Indore (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	EEE	Electrical & Electronics Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	120
Vindhya Institute of Technology & Science, Jabalpur (SECOND SHIFT)	Civil	Civil Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
Vindhya Institute of Technology & Science, Satna (SECOND SHIFT)	ELECT	Electrical Engineering	PRIVATE	60
	Mech	Mechanical Engineering	PRIVATE	60
University Polytechnic College, RGPV, Bhopal	Civil	Civil Engineering	University Owned	60
	ELECT	Electrical Engineering	University Owned	60
	ET	Electronics & Telecommunication	University Owned	60
	MECH	Mechanical Engineering	University Owned	60

**सत्र 2017–18 में समिलित नवीन पाठ्यक्रम**

**पोलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु संभावित संस्थावार एवं ब्रांचवार सीटों की संख्या**

S. No.	Institute Name	Branch	Intake
<b>Government</b>			
1	Government Polytechnic College Khirsadoh	MMS	60
2	Government Polytechnic College Shahdol	MMS	60
3	Government Polytechnic College Waidhan	MMS	60
4	Government Polytechnic College Shahdol	MS	60
<b>Government [GIRLS]</b>			
5	Government Women Polytechnic College Bhopal (GWP)	FT	60
6	Government Women Polytechnic College Jabalpur (GWP)	FT	60
<b>Government [Special Co-Ed]</b>			
7	Government Polytechnic College Khargone [Special Co-Ed]	FT	60
8	Jija Mata Government Polytechnic College Burhanpur [Special Co-Ed]	FT	60
9	S.R Government Polytechnic College Sagar[Special Co-Ed]	FT	60
10	V.M. Government Polytechnic College Narsinghpur [Special Co-Ed]	FT	60
<b>Government Autonomous</b>			
11	Government Polytechnic College Dhar (Declared Autonomous by Government of MP)	IE	60
	Government Polytechnic College Dhar (Declared Autonomous by Government of MP)	MANU	60
	Government Polytechnic College Dhar (Declared Autonomous by Government of MP)	MECHAT	60
<b>Government Autonomous[GIRLS]</b>			
12	Government Women Polytechnic College Indore (Declared Autonomous by Government of MP)	FT	60

**PRIVATE**

13	Aditya College of Technology & Science, Satna ( Second Shift)	MMS	60
14	Sardar Patel Polytechnic College, Balaghat	MMS	60
15	Shri Rama Krishna College of Polytechnic and Management, Karhi Kothar, Satna	MMS	60
16	The VITS Polytechnic, Amoudha, Satna	MMS	60

**NOTE: ADDITION/DELETION OF INSTITUTIONS AND INTAKE CAPACITY MAY TAKE PLACE AT THE TIME OF COUNSELING AS PER THE APPROVAL OF AICTE**

**Abreviations of Branches**

AAT - Architectural Assistantship	Electronics & Computer Engg - Electronics & Computer Engg	MS - Mine Surveying
AE - Automobile Engg	ELME - Electrical & Mechanical Engg.	OEE - Opto Electronics Engg
ARID - Architecture and Interior design	ET - Electronics & Telecommunication	OT - Ophthalmic Tech
CHEM - Chemical Engg	Food - Food Tech	PE - Production Engg
CHM - Computer Hardware & Maintenance	FT - Fashion Technology	PEN - Petrochemical Engg
Civil - Civil Engineering	HMCT - HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY	PLT - Plastic Tech
Comp - Computer Science & Engineering	IDD - Interior Decoration and design	PT - Printing Tech
CT - Cement Tech	IE - Industrial Electronics	RAC - Refrigeration and Air conditioning
CTM - Construction Tech and Management	IT - Information Technology	RPCT - Refinery and Petro Chemical (Petroleum Technology)
EC - Electronics and Communication	MANU - Manufacturing	TD - Textile Design

EE - ELECTRONICS ENGG	MECH - Mechanical Engineering	TRAVEL AND TOURISM - TRAVEL AND TOURISM
EEE - Electrical & Electronics Engineering	MECHAT - Mechrtonics	TT - Textile Tech
EI - Electronics & Instrumentation	Mining - Mining	
ELECT - Electrical Engineering	MMS - Mining & Mine Surveying	

